

FORM-III
(For projects other than linear projects and plantations)
(Rule 6(3)(e) of Forest (Conservation) Rules 2003 as amended up to date)
Government of Himachal Pradesh.
OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR, DISTRICT, LAHAUL & SPITI.

No 387/FRA


Dated 25/03/2022

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Rule 6(3)(e) of the Forest (Conservation) Rules, 2003(as amended vide the Forest(Conservation) Amendments Rules 2016), it is certified that **75-00-00 Bigha** of forest land proposed to be diverted in favour of the **Tribal Development Department** for the construction of **Eklavya Modal Residential School(EMRS)** (purpose for diversion of forest land) in Lahaul & Spiti District falls within jurisdiction of Gram Sabha Haduka,DPF Fatghar in Sub-Tehsil Udaipur Distt. Lahaul & Spiti. It is further certified that:-

- a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA,2006 has been carried out for the entire **75-00-00 Bigha** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meeting of the Forest Rights Committees (s), Gram Sabha(s),Sub Division level Committee(s) and District level Committee are enclosed as annexure **I to V**.
- b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) has been placed before each concerned Gram Sabha of forest- dwellers, who are eligible under the FRA,2006.
- c) The each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and compensation and ameliorative measures, if any having understood the purpose and detail of proposed diversion. A copy of certificate issued by the **Gram Sabha** Haduka,DPF Fatghar in Sub-Tehsil Udaipur Distt. Lahaul & Spiti. is enclosed as attachment I to V.
- d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- e) The diversion of forest land for facilities managed by Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given consent to it.
- f) The rights of Primitive tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) of the FRA,2006.

Encl:- As above


Neeraj Kumar, IAS
District Collector cum- Chairmn, DLC.
Lahaul & Spiti District.

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति हुडका व डी.पी.०५०५०० जलगाँव
ग्राम सभा हुडका व डी.पी.०५०५०० जलगाँव जिला लाहौर - हिमाचल (हि०प्र०)
प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 19-12-2021

प्रस्ताव संख्या (1)

वन अधिकार समिति ग्राम सभा हुडका व डी.पी.०५०५०० जलगाँव की बैठक आज दिनांक 19-12-2021 को 11.00 AM बजे, स्थान कुकुमदेरी में श्री/श्रीमति अमर सिंह की अध्यक्षता में की गई, जिसमें पुर्निश, सेनट, कुकुमदेरी वेला गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत हुडका जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें हुडका विभाग द्वारा ** इकतव्य आदर्श आवासीय संरक्षण के निर्माण के लिए 6-00-00 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्र० सं०	*पात्र ग्रामवासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1	<u>इकतव्य आदर्श आवासीय संरक्षण</u>	<u>हुडका</u>	
2			

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्र० सं०	*पात्र ग्रामवासी का नाम
1	
2	

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

हुडका जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान कुकुमदेरी

दिनांक 29-12-2021

RC HADUKA

Assistant Commissioner to
Deputy Commissioner to

अधिकृत हेस्ताक्षरकर्ता

ग्राम स्वभा

* ग्रामवासी/ग्रामवासियों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

ग्राम सभा..... हडुका व डी.पी.डी.मो. जटगाहर जिला लाहौल-स्पीति (हि0प्र0)
प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 29-12-2021

प्रस्ताव संख्या.....(1.)

ग्राम सभा हडुका व डी.पी.डी.मो. जटगाहर की बैठक आज दिनांक 29-12-2021
को 11:00 AM बजे, स्थान कुकुमलेरी में श्री/श्रीमति अमर सिंह की अध्यक्षता में की गई,
जिसमें युलिंग, रेनु, कुकुमलेरी, वेंग गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी
(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत हडुका जंगल/वन क्षेत्र में
(जिसमें 4-06-97 ई. विभाग द्वारा ** डबलव आर्वा सी.ए.ए.ए. के निर्माण के
लिए 6-00-00 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु
प्राप्त हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ
प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों
का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्र0 सं0	*पात्र ग्रामवासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1	<u>अमर सिंह आवासीय टुकल</u>	<u>हडुका</u>	
2			

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करने हेतु इसे खण्ड स्तर की समिति करती को
प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्र0 सं0	*पात्र ग्रामवासी का नाम
1	
2	

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार हडुका जंगल/वन क्षेत्र में
काई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान कुकुमलेरी
दिनांक 29-12-2021

RC Hada
Gram Panchayat Secretary

अमर सिंह
ग्राम सभा अध्यक्ष

* ग्रामवासी/ग्रामवासियों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन
किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में अर्जित वन भूमि के उपयोग
की अनुमति दी जानी है।

Assistant Commissioner to
Deputy Commissioner
Laheul-Spiti

अनुचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

ग्राम सभा हडुका व डी.पी.०५००० मलगाहर
विकास खण्ड उदयपुर जिला लाहौल - स्पिति (हि०प्र०)
प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 29-12-2021

प्राप्ति 4/1/20

प्रस्ताव संख्या (1)

विषय:-

विभाग/संस्था को इकलव्य आदिवासी

आवासीय स्कूल के निर्माण हेतु 6-00-00 हडुका
जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 06-00-00 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की
जुरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा हडुका व डी.पी.०५००० मलगाहर स्पीति की बैठक आज दिनांक
29-12-2021 को 11:00 AM बजे स्थान कुकुमवेरी में की गई, जिसमें इकलव्य
स्कूल विभाग/संस्था को इकलव्य आदिवासी आवासीय स्कूल
निर्माण हेतु हडुका जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 6-00-00 हैक्टेयर
वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी
तरीक़ा से समझने के बाद सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि
पर जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों
मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा
सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे
बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित 6-00-00 हैक्टेयर वन
भूमि को इकलव्य आदिवासी आवासीय स्कूल निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा हडुका व
डी.पी.०५००० की सहमति दी जाती है।

न कुकुमवेरी
दिनांक 29-12-2021

RC HADUKA
Panchayat Talukna

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
RC HADUKA
Panchayat Talukna

Assistant Commissioner to
Deputy Commissioner
Lahaul-Spiti

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

DISTRICT LAHAUL & SPITI. (HP).

Proceedings of the meeting of DISTRICT Level Committee constituted under Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act, 2006.

A meeting of the District Level Committee Lahaul at Keylong, constituted under FRA, 2006 was held on 25th March, 2022 under the Chairmanship of Sh. Neeraj Kumar (IAS), Deputy Commissioner, District Lahaul & Spiti at 12:30 PM at Keylong in which the application(s) for diversion of forest land under the jurisdiction of Gram Sabhas namely; Gram Sabha Haduka, in DPF Fatghar— bearing Khasra No.'s 137/142,255/18/1 measuring 00-06-07, K.No.465/371/248/1 measuring 27-15-01, K.No.472/461/257/1 measuring 25-14-11 and K. No.552/484/366/306/1 measuring 21-04-01 Bighas Total measuring 75-00-00 Bighas of Forest Land being diverted under FCA, 1980 for of the C/o Eklavya Modal Residential School(EMRS) in favour of the Tribal Development Department, duly processed and recommend by the Sub Division Level Committee Lahaul, were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicant(s) were found to be in order and hence admitted:

S. No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of Forest Right
1.	Tribal Development Department	DPF Fatghar	Keylong

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected:

S. No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of Forest Right
1.	NIL	NIL	NIL

OR

As informed by Chairman Sub Division Level Forest Rights Committee Udaipur, no application was received claiming rights in the above mentioned forest area of DPF Fatghar, proposed to be diverted under FCA, 1980 for the C/o Eklavya Modal Residential School(EMRS) in favour of the Tribal Development Department.

Place: Keylong
Date: 25.03.2022

Deputy Commissioner cum – Chairman
District Level Committee Lahaul,
District Lahaul & Spiti, Himachal Pradesh.